दूरभाषः 0414–2614440

कार्यालय अधीक्षक सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह बाल अधिकारिता विभाग

सेठी कॉलोनी, जयपुर–302004 (राज)

क्रमांक– दिनांक 27/6/16

श्रीमान निदेशक महोदय
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग
राजस्थान जयपुर।

विषयः– निविदा सूचना प्रकाशित करवाने बाबत्।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह जयपुर में जाब बेसिस पर सुरक्षा कार्य करवाया जाना है। इस हेतु एक क्षेत्रीय दैनिक समाचार पत्र एवं पचास हजार प्रतियां और उससे अधिक परिचालक चालान रखने वाले एक राज्य स्तरीय मुख्य दैनिक समाचार पत्र में न्यूनतम स्थान पर दिनांक 07.07.2016 से पूर्व प्रकाशित करवाकर बिल दो प्रतियों में भिजवाने का श्रम करावें।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार

अधीक्षक
राजकीय सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह
बाल अधिकारिता विभाग
सेठी कॉलोनी जयपुर

क्रमांकः–637-42 दिनांक 27/6/16

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवही हेतु–

1. लोक उपायन पोर्टल राज. जयपुर।
2. विभागीय बेक्साईट
3. नोटिस बोर्ड–निदेशक बाल अधिकारी जयपुर।
4. नोटिस बोर्ड–उपनिदेशक जयपुर (शहर)
5. जिला कलक्टर जयपुर।
6. नोटिस बोर्ड कार्यालय अधीक्षक सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह जयपुर।

अधीक्षक
राजकीय सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह
बाल अधिकारिता विभाग
सेठी कॉलोनी जयपुर

राजस्थान सरकार
कार्यालय अधीक्षक सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह
बाल अधिकारिता विभाग
सेठी कॉलोनी, जयपुर।

क्रमांक–

दिनांक 27/ ..6.. / 2016

निविदा सूचना 2016–17

राज्यपाल महोदय की ओर से अधीक्षक सम्प्रेक्षक एवं किशोर गृह सेठी कॉलोनी जयपुर बाल अधिकारिता विभाग राजस्थान जयपुर में आवासित बालको के लिये निम्न कार्यो/आपूर्ति हेतु मुहरबंद निविदाएं निर्धारित प्रपत्र में आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र एवं शर्ते आदि इस कार्यालय में निर्धारित शुल्क जमा करवाकर कार्य दिवस में दिनांक 21.07.2016 को 5.00 तक प्राप्त किये जा सकते है। बकाया राशि (अर्नेस्ट मनी) या आवश्यक दस्तावेज के बिना जमा निविदा पर विचार नही किया जायेगा।

क्र. स.	कार्य का नाम	अनुमानित राशि	निविदा शुल्क	बयाना राशि	निविदा भेजने की दिंनाक	निविदा प्राप्त करने की दिंनाक	निविदा खोलने की दिंनाक
1.	जॉब बेसिस पर सुरक्षा व्यवस्था कार्य	9,45,000	200	18000	28.06. 2016	22.07. 2016	22.07.2016

भरी हुई निविदाये दिनांक 22.07.2016को दोपहर 02.00 बजे तक अधोहस्ताक्षर कर्ता के कार्यालय में जमा करायी जा सकती है। निर्धारित समय तक प्राप्त निविदाएं दिनांक 22.07.2016 को 03:00 बजे क्रय समिति द्वारा उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जावेगी। अपूर्ण एवं विलम्ब से प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा।

अधीक्षक
सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह
सेठी कॉलोनी, जयपुर।

राजस्थान सरकार
कार्यालय अधीक्षक सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह
बाल अधिकारिता विभाग
सेठी कॉलोनी, जयपुर।

विषयः– सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह परिसर की सुरक्षा कार्य जॉब वैसिस पर करवाने हेतु।

1. निविदा प्रस्तुत करने वाली संस्था/फर्म/ऐजेन्सी का नाम तथा डाक का पूरा पता

   ....

   ....

   ....

   ....

   दूरभाष ....मोबाईल ....
2. संदर्भ निविदा विज्ञप्ति क्रमांक ....दिनांक ....
3. निविदा शुल्क की नगद जमा राशि रू. ....रसीद संख्या .... दिनांक.......
4. धरोहर राशि हेतु अधीक्षक सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह, बाल अधिकारिता विभाग, जयपुर के पक्ष में जारी बैकर्स चैक/ड्राफ्ट सं. ....दिनांक .... राशि........... संलग्न है।
5. सेवा प्रदाय करने हेतु श्रम विभाग द्वारा जारी पंजीयन पत्र सं. ....
6. आयकर विभाग द्वारा जारी परमानेन्ट अकाउन्ट नं. (पैन)................................
7. सर्विस टैक्स पंजीयन प्रमाण–पत्र संख्या..... पंजीयन कार्यालय का विवरण........
8. पी.एफ. विभाग के रजिस्ट्रेशन नंम्बर...
9. कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा जारी ई.एफ.आई. के रजिस्ट्रेशन नं. ....
10. कार्यानुभव का विवरणः–

अधीक्षक
एवं किशोर गृह

(प्रमाण–पत्रों की प्रति संलग्न करें)

क्र.स.	कार्यालय का नाम	अवधि
1.		
2.		
3.		

11.संलग्न कार्य का विवरणानुसार सेवा प्रदान करने हेतु दरें निम्न प्रकार है।

<table>
<tr><td rowspan="3">सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह की सुरक्षा कार्य जॉब वेसिस पर</td><td colspan="2">प्रति माह दर (प्रसासनिक अधिभार एवं समस्त कर सहित रूपयें में)</td></tr>
<tr><td>अकों में (रूपये)</td><td>शब्दों में (रूपये)</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
</table>

नोटः– 1. श्रम विभाग द्वारा नियमों की पालना में समय–समय पर जारी दिशा निर्देशानुसार ठेकेदार द्वारा सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह में उपलब्ध कराये गये गार्डो को अनिवार्य रूप से ठेकेदार की ही न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करना होगा उसे ध्यान में रखतें हुए दरे देवें।

12.उपरोक्त अंकित दरें एक वर्ष तक वैध है समयावधि में वृद्धि पारस्परिक सहमति से की जा सकती है।

13.निविदा सूचना संख्या...................... दिनांक .... जो कि अधीक्षक सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह बाल अधिकारिता विभाग, जयपुर के द्वारा जारी की गई है में वर्णित शर्तो की पालना के लिए हम सहमत है तथा उक्त निविदा सूचना की अन्य शर्ते जो संलग्न पृष्ठ में दी गई है जिसके समस्त पृष्ठों पर उनमें वर्णित शर्तो की हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने का प्रतीक स्वरूप हमने हस्ताक्षर कर दिये है का भी पालन करने के लिए हम सहमत है।

दिनांक

हस्ताक्षर निविदादाता
संस्था / फर्म / एजेन्सी की सील

अधीक्षक
सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह
विभाग

सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह में लगाये जाने वाले सुरक्षा गार्ड के कार्य का विवरणः–

1. सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों का इन्द्राज आवक जावक रजिस्टर में करना।
2. सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह में आवसीय बालकों की 24 घन्टे पूर्ण सुरक्षा का कार्य।
3. सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह के सामान की पूर्ण सुरक्षा रखने का कार्य।
4. सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह के परिसर में बिना अधीक्षक की अनुमति के प्रवेश नही करना
5. सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह परिसर के अन्दर आने जाने वाले बालको एवं बाहरी व्यक्ति की पूर्ण तलाशी के पश्चात ही प्रवेश देना।

सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह में सुरक्षा कार्य के समय का विवरणः–

	ड्यूटी का समय (8 घन्टे)
पुरूष सुरक्षा गार्ड (3)	6.00 A.M से 02.00 P.M
पुरूष सुरक्षा गार्ड (3)	2.00 P.M से 10.00 P.M
पुरूष सुरक्षा गार्ड (3)	6.00 P.M से 02.00 A.M

<u>विभाग द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाली व्यवस्थाः–</u>

1. सुरक्षा गार्ड को केवल बैठने के स्थान के अलावा कोई सुविधा नही दी जायेगी।

अधीक्षक
सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह
विभाग

करार पत्र

यह करार पत्र आज दिनांक ....माह............ सन्.......... को एक पक्ष के .... (जिसे इसमें आगे अनुमोदित सेवा प्रदान कर्ता कहा गया है तथा इस अभिव्यक्ति में, जहाँ संदर्भ द्वारा ऐ स्वकीर किया जावेगा, उसके उत्तराधिकारियों, निष्पादकों एवं प्रशासकों को शामिल किया हुआ समझा जायेगा) राजस्थान राज्य सरकार (जिसे इसमें आगे सरकार कहा गया है तथा इस अभिव्यक्ति में, जहाँ संदर्भ द्वारा ऐसा स्वीकार किया जावेगा, उसके. .... पर के उत्तराधिकारियों एवं समनुदेशितियों को शामिल किया हुआ समझा जायेगा) द्वितीय पक्ष के बीच सम्पन्न किया गया।

1. चूँकि सेवा प्रदाय कर्ता राजस्थान राज्य के अधीक्षक सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह, जयपुर में सुरक्षा कार्य जॉब बैसिक पर कार्य कराने की शर्तों में दिये गये तरीके से कार्यादेश संख्या दिनांक .... में दी गई दरों पर प्रदान करने के लिए सरकार से सहमत हो गया है।
2. एवं चूकि सेवा प्रदाय कर्ता ने रूपये की राशि निम्न प्रकार से करायी है:–

(1) नकद/बैक ड्राफ्ट/चालान संख्या/बैंक चैक/रसीद संख्या................ दिनांक .... द्वारा

(2) विभागीय प्राधिकारियों के पास विधिवत रहने रखकर डाकघर बचत बैंक पासबुक के रूपयें।

(3) अल्प बचतों को प्रोत्साहन देने हेतु राष्ट्रीय बचत प्रमाण –पत्रों/डिफेंस सेविगस सर्टिफिकेटस/किसान विकास पत्रों या किन्ही अन्य स्किप्ट/इन्सस्ट्रमेन्टस के रूप में, यदि इन्हे संबंधित नियमो के अधीन (प्रमाण–पत्र उनके समर्पण मूल्य पर स्वीकार किये जाएगें) उक्त करार के निष्पादन के लिए प्रतिभूति के रूप में गिरबी रखा जा सकता है।

3. अतः यह विलेख निम्नलिखित का साक्षी है।

(1) कार्यादेश सं. .... दिनांक .... दी गई दरों पर .... के मार्फत सरकार द्वारा किये जाने वाले भुगतान के प्रतिफल से सेवा प्रदायकर्ता .... में तथा निविदा एवं संविदा की शर्तों में दिये गये तरीके से उक्त कर्मकारों की विधिवत सप्लाई करेगा।

(2) निविदा सूचना संख्या दिनांक................ से संलग्न खुली निविदा हेतु निविदा एवं कार्य करने की शर्तो को तथा ये इस करार पत्र को अनुमोदित करने वाले पक्षकारों के लिये मान्य होगी।

(3) निविदादाता से प्राप्त पत्र संख्याए............................ तथा सरकार द्वारा जारी कियें गये पत्र संख्याए .... भी जो इस करार पत्र के साथ संलग्न दिये गये है, इस करार पत्र के भाग के रूप मं होगे।

(4) सेवा प्रदायकर्ता कार्यादेश सं. .... दिनांक .... में उल्लेखित अवधि/तिथि तक निर्धारित संख्या में कर्मकारों की सेवाएं प्रदाय करेगा।

(5) सरकार एतद द्वारा स्वीकार करती है कि यदि सेवा प्रदाय कर्ता उक्त गार्डो की उपयुक्त तरीके से विधिवत सेवा प्रदाय करेगा, उक्त शर्तो का पालन करेगा, तथा उन्हे बनाये रखेगा, तो सरकार .... के माध्यम से अनुमोदित सेवा प्रदाय करेगी या करवायेगी।

(6) सफल निविदादाता द्वारा कार्यादेश में वर्णित कार्य सम्पादन हेतु आवश्यकतानुसार सुरक्षा गार्ड उपलब्ध करवायें जाएगे। यदि किसी समय ठेकेदार आवश्यकतानुसार सुरक्षा गार्ड उपलब्ध नहीं करवाये जाने पर कार्य सन्तोषजनक नही होने पर अनुमोदित राशि के आधार पर गणना करना कर उक्त कटौति के साथ आंकलित राशि की 10 प्रतिशत राशि शास्ति के रूप में बिल से काटी जायेगी।

(7) करार से उत्पन्न होने वाले समस्त विवाद तथा इस करार पत्र के निवार्चन या व्याखा से संबंधित सभी प्रश्न सरकार (अधीक्षक, सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह, जयपुर) द्वारा विनिश्चित किये जायेगे तथा सरकार का निर्णय अन्तिम होगा। इसकी साक्षी में इसमें पक्षकारो ने आज दिनांक .... माह........... सन्...................... को अपने हस्ताक्षर किये।

राज्यपाल के लिए एवं उनकी ओर से   अनुमोदित सेवा प्रदाय कर्ता के हस्ताक्षर

पदनाम

दिनांकः साक्षी सं. 1   साक्षी सं. 2   दिनांकः   साक्षी सं. 1 साक्षी सं. 2

अधीक्षक
किशोर गृह

निविदा की सामान्य शर्ते:–

1. निविदा ठीक प्रकार से बंद लिफाफे में प्रस्तुत करनी होगी। निविदा लिफाफे पर जिस कार्य हेतु निविदा दी जाती है उसका नाम स्पष्ट रूप से लिखा हुआ होना चाहिए। निविदा विभाग द्वारा जारी प्रपत्र पर ही स्वीकार की जावेगी।
2. कार्य की अवधि कार्यादेश स्वीकृति की तिथि से एक वर्ष के लिये मान्य होगी। जिसे अधीक्षक द्वारा तीन माह बढाया जा सकता हैं तथा जिसके लिए बाध्य है व दोनों पक्षों की आपसी सहमति से ठेका अवधि तीन माह और बढाई जा सकती है।
3. निविदादाता/संस्था/फर्म/एजेन्सी को पूर्व में राजकीय कार्यालयों, अर्द्वशासकीय कार्यालयों में या अन्य संस्थाओं में निविदा में उल्लेखित कार्य करने का अनुभव प्रमाण पत्र की प्रतियॉ निविदा पत्र के साथ प्रस्तुत करे।
4. निविदादाता को निविदा सूचना में अंकित धरोहर राशि का बैक ड्राफ्ट/बैक चैक/नकद प्रतिभूमि/जमा राशि (S.D) में संयोजित कर लिया जायेगा। द्वितीय न्यूनतम दर निविदादाता की धरोहर रोक कर शेष निविदादाता को आवेदन करने पर धरोहर राशि लोटा दी जावेगी। राशि के बिना प्राप्त निविदाओं पर विचार नही किया जायेगा
5. सफल निविदादाता द्वारा अवयस्क एवं अशक्त गार्डो को कार्य पर नहीं लगाया जायेगा। किसी भी गार्ड के अवकाश पर रहने या राजकीय अवकाश के दिनों में अपेक्षित संख्या में गार्ड की सेवा प्रदाय करने का दायित्व सेवा प्रदान कर्ता का होगा। इस संबंध में किसी प्रकार का अतिरिक्त भुगतान देय नही होगा।
6. किसी भी निविदा को बिना कारण बताये निरस्त/अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार अधीक्षक का होगा।
7. सेवा प्रदाय कर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रमाण–पत्र या कोई त्रृटि पाये जाने पर निविदा को रद्द करने का अधिकार अधीक्षक सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह, जयपुर का होगा।
8. न्यूनतम दरों स्वीकार/अस्वीकर करने का अधिकार अधीक्षक, से सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह, जयपुर के पास सुरक्षित होगा।
9. निविदादाता का श्रम विभाग से मानव श्रम आपूर्ति करने का पंयीजन करवाना आवश्यक है साथ ही ई.एस.आई.व पी. एफ विभाग में पंजीकरण करवाना आवश्यक होगा। संबंधित दस्तावेज निविदा से साथ संलग्न करने होगे। निविदादाता द्वारा यदि सर्विस टैक्स की मांग की जाती है तो उसका सर्विस

टैक्स के लिए पंजीकृत होना आवश्यक है पंजीयन प्रमाण पत्र निविदा प्रपत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा।

10. सेवा प्रदाय कर्ता को ठेका कार्य का संचालन स्वयं को ही करना होगा, वह किसी अन्य व्यक्ति/संस्था को ठेका सबलेट नहीं करेगा।
11. ठेके के संबंध में अन्य कोई शर्ते मान्य नहीं होगी। सशर्ते निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा।
12. ठेके के संबंध में अन्य शर्ते मान्य नहीं। सशर्ते निविदाओं पर विचार नहीं कियां जायेगा।
13. ठेकेदार के किसी गार्ड द्वारा कार्य में व्यवधान उत्पन्न करने/अवांछित गतिविधियों में लिप्त पाये जाने अथवा अनापेक्षित आचरण करने संबंधित शिकायत प्राप्त होने पर अथवा अन्य प्रकार से प्रशासन के ध्यान मे आने पर यदि प्रशासन उस गार्ड को हटाने का निर्देश सेवा प्रदाय कर्ता को देता है तो ठेकेदार द्वारा उस गार्ड को तुरन्त हटाना होगा।
14. सेवा प्रदाय कर्ता को अनुबंध के साथ उसके द्वारा उपलब्ध कराये गये गार्डो की सूची उनके पासपोर्ट साईज फोटो सहित प्रस्तुत करनी होगी। इनके आचरण एवं उसके द्वारा किये गये कार्य के लिए पूर्ण रूप से ठेकेदार जिम्मेदार होगा। सेवा प्रदाय कर्ता को अपने गार्डो को पहचान/परिचय पत्र उपलब्ध कराने होगे।
15. अधीक्षक द्वारा ठेके सें संबंधित कोई भी सूचना सेवा प्रदाय कर्ता से कभी भी प्राप्त की जा सकेगी। इस हेतु सेवा कर्ता को ठेका स्थल पर स्वयं की अनुपस्थिति में किसी अन्य व्यक्ति/व्यक्तियों को नामजद करना होगा जो कि ठेकेदार के नाम से जारी पत्रों को प्राप्त करने एवं वांछित सूचना उपलब्ध कराने के लिए अधिकृत एवं उत्तरादायी हो। अधिकृत व्यक्ति राउंड दॉ क्लॉक अधीक्षक के संपर्क में रहेगा एवं प्रशासन के द्वारा समय–समय पर दिये जाने वाले दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य करने के लिए उत्तरादायी होगा।
16. सफल निविदादाता द्वारा सुरक्षा कार्य जॉब वैसिस कराने हेतु आवश्कतानुसार उपलब्ध कराये गये गार्डो की कार्यअवधि ठेके की अवधि समाप्त होते ही स्वतः ही समाप्त हो जावेगी एवं किसी भी स्थिति में गार्ड नियमित नियुक्ति के पात्र नही होगे।
17. कार्य की आवश्यकता के अनुसार गार्ड की संख्या को कम व अधिक करने का अधीक्षक को पूर्ण अधिकार होगा।
18. सफल निविदादाता द्वारा कार्यादेश में वर्णित कार्य सम्पादन हेतु आवश्यकतानुसार गार्ड उपलब्ध करवायें जायेगे। यदि किसी समय ठेकेदार

द्वारा आवश्यकतानुसार गार्ड उपलब्ध नही करवाये जाने पर सुरक्षा कार्य सन्तोषजनक नहीं होने पर अनुमोदित राशि के आधार पर गणना कर उक्त कटौति के साथ आंकलित राशि की 10 प्रतिशत राशि शास्ति के रूप में बिल से काटी जाएगी।

19. ठेकेदार को श्रम विधि नियम उपनियम व अधिसूचनाऐ आदि में दिये गये दिशा निर्देशों की पालना एवं समस्त श्रम नियमों की पालना करने का दायित्व सेवा प्रदाय कर्ता का होगा। श्रम विधि नियम उपनियम एवं अधिसूचनाओं की पालना नहीं करने की स्थिति में कर्ता को श्रम विधि नियम उपनियम तथा केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों एवं श्रमिक हित में जारी किये गये संशोधन की पालना करने का दायित्व ठेकेदार का होगा, पालना नही करने की स्थिति मे अधीक्षक को ठेका निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

20. इस कार्य हेतु श्रम विभाग/राज्य सरकार के प्रावधानों के तहत कोई लाईसेन्स या अनुमति पत्र लेना आवश्यक हासे तो यह ठेकेदार स्वयं के खर्चे पर प्राप्त कर प्रस्तुत करेगा। ठेकेदार को अपने कर्मकारों के कार्य दिवस, कार्य के घण्टे, दिये गये परिश्रमिक इत्यादि की श्रम विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्रों में सूचना व अन्य समस्त प्रकार के रिकार्ड को तैयार करने एवं तदउपरान्त सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी तथा किसी भी अधिकारी के मॉगे जाने पर प्रस्तुत करनी होगी।

21. निविदा अनुमोदन होने पर संबंधित संस्था/फर्म/एजेन्सी द्वारा रू. 500/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर निर्धारित प्रपत्र में अनुबंध प्रस्तुत करना होगा जिसका समस्त व्यय संबंधित फर्म द्वारा वहन किया जाएगा। सफल निविदादाता को अनुमोदित कार्य राशि की 5 प्रतिशत राशि प्रतिभूति के रूप डी.डी/बैकर चैक/नगद/राष्ट्रीय बचत पत्र (जो कि निविदादाता के नाम क्रय किये गये हो एवं अधीक्षक के हक में समर्पण मूल्य में प्लेज करा कर प्रस्तुत किये हो) प्रस्तुत करनी होगी। प्रतिभूति राशि पर कोई ब्याज नही दिया जाएगा।

22. ठेकेदार द्वारा अपने गार्डो को प्रत्येक माह की 7 तारीख तक उनकी मजदूरी का भुगतान आवश्यक रूप से करना होगा। चाहे अधीक्षक सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह, जयपुर से किसी भी कारण से देरी से भुगतान प्राप्त क्यों न हो। ठेकेदार जिस दिन व समय पर गार्डो को परिश्रमिक का भुगतान करना निश्चित करेगा वह दिन व समय कार्यालय को अनुबंध प्रारम्भ होते ही सूचित करेगा।

अधीक्षक किशोर गृह

23. सेवा प्रदाय कर्ता द्वारा कार्य बीच में छोडने पर या उसका कार्य संतोषप्रद नही होने की स्थिति मे ठेकेदारस का स्वीकृत ठेका निरस्त कर प्रतिभूमि राशि जप्त करने का पूर्ण अधिकार अधीक्षक को होगा।

24. सेवा प्रदाय कर्ता द्वारा नियोजित गार्डो की किसी भी कारण तथा कार्य के समय व कार्य समय के उपरांत मृत्यु हो जाती है। या किसी भी रूप मे अथवा दुर्घटना में घायल/अपंग हो जाता है तो उसकी समस्त दायित्व, क्षतिपूर्ति मुआवजा आदि देने की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। इसके लिये सरकार, अधीक्षक सम्प्रेक्षण एवं किशार गृह, जयपुर जिम्मेदार नही होगा।

25. यदि ठेकेदार के किसी कृत्य या अकृत्य से व्यथित होकर कर्मकार न्यायालय मे आनुतोष पाने हेतु कार्यवाही करता है और इसमें अधीक्षण सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह जयपुर प्रशासन को भी पक्षकार बनाता है तो अधीक्षक सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह जयपुर पडने वाला समस्त भार ठेकेदार से वसूला जायेगा।

26. यदि ठेकेदार एवं गार्डो के मध्य कोई विवाद होता है तो उसकी जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। अधीक्षण सम्प्रेक्षण किशोर गृह जयपुर के प्रशासन का कोई दायित्व नही होगा।

27. किसी भी प्रकार का विवाद होने पर अधीक्षण सम्प्रेक्षण किशोर गृह जयपुर का निर्णय अंतिम होगा। ठेकेदार को मानना होगा।

28. किसी प्रकार का विवाद होने पर कानूनी कार्यवाही जयपुर स्थित न्यायालय में ही होगी।

29. सम्प्रेक्षण किशोर गृह में चोरी एवं गबन होने पर एफ.आई.आर. अधीक्षक द्वारा की जायेगी एवं चोरी एवं गबन की राशि संबंधित ठेकेदार से वसूली जावेगी।

30. संस्था मे से किसी बालक के बाहर निकल जाने पर नियमानुसार ठेकेदार के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी जिसमें निविदा निरस्त कर जमानत राशि जब्त कर ठेकेदार को ब्लेकलिस्ट भी किया जा सकता है।

31. सुरक्षाकर्मी के द्वारा 24 घण्टे में किसी भी समय अवांछित गतिविधयों में संलिप्तता अथवा आपराधिक प्रकृतियों को प्रोत्साहन देने मे भुमिका पायी जाती है तो कानूनी कार्यवाही सेवा प्रदाय कर्त्ता के द्वारा की जावेगी एवं उक्त संबंध मे समस्त जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।

32. सेवाप्रदाय कर्त्ता को सुरक्षा संबंधि कार्य करने को 2 वर्ष का अनुभवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा अन्यथा निविदा पर विचार नही किया जावेगा।

33. सेवाप्रदाय कर्त्ता के पास प्राईवेट सुरक्षा एजेन्सी (निनियम) अधिनियम 2005 एवं राजस्थान प्राईवेट सिक्यूरिटी एजेन्सी (विनियम) नियम 2006 के तहम

लाइसेन्स होना आवश्यक है इसके अभाव में निविदा विचार नही किया जावेगा।

34. सम्प्रेक्षण किशोर गृह परिसर मे प्रतिबंधित जैसे मोबाईल, चाकू ब्लैड, अस्त्र–शस्त्र, लाठी,–भाटा, तलवार, एलकोहल, स्प्रिट, भांग, गांजा, अफीम या अन्य कोई स्वापक या मन:प्रभाव प्रदार्थ इत्यादि का प्रवेश वर्जित है। इसकी जांच हेतु प्रर्याप्त उपकरण की व्यवस्था संबंधित फर्म को करनी होगी।

अधीक्षक

मैने/हमने उपरोक्तानुसार वर्णित शर्त संख्या 1 से 34 तक भली भांति पढ लिया है एंव समझ लिया है। हम उपरोक्त वर्णित सभी शर्तो की पूर्ण पालना करने के लिये सहमत है। सहमति स्वरूप निविदा की सामान्य शर्तो के प्रत्येक पृष्ठ पर मेरे/हमारे द्वारा हस्ताक्षर कर दिये गये है। हमारे द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा पत्र परिशिष्ठ 'अ' एवं परिशिष्ठ 'ब' संलग्न है।

दिनांक

हस्ताक्षर एवं नाम

परिशिष्ट "अ"

घोषणा पत्र

मै/हम यह घोषणा करते है कि हमने निविदा शर्तो के विरूद्ध कोई शर्ते नही लगाई है यदि कहीं अंकित कर दी गई है तो निवदा स्वतः अस्वीकार मानी जावेगी।

यह है कि श्रम विभाग में श्रमिक सप्लाई करने हेतु पंजीकृत है जिसका पंजीयन संख्या .... दिनांक .... हैं यदि यह धोषणा गलत पाई जावे तो विभाग अन्य कार्यवाही के अलावा धरोहर राशि जब्त कर सकेगा। और यदि स्वीकृति कर ली गई तो उसे निरस्त कर प्रतिभूति/जमानत राशि (सिक्यूरिटी) जब्त कर लेगा।

दिनांक

निविदादाता के हस्ताक्षर

एवं नाम पता

अधीक्षक
राजकीय सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह
बाल अधिकारिता विभाग
मेडी कॉलोनी जयपुर